न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मावली जिला उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : रमेश सीरवी पुनाडिया, RAS.

पत्रावली संख्या : 198/25 (विविध प्रार्थना पत्र)

जीसीएमएस नम्बर : 2025/622

उनवान

1. छगनलाल पिता लच्छीराम ब्राहम्ण निवासी डबोक तहसील मावली जिला उदयपुर।
2. दिनेश चन्द्र पिता लच्छीराम ब्राहम्ण निवासी डबोक तहसील मावली जिला उदयपुर।

................प्रार्थीगण

बनाम

1. खुबीलाल पिता भूरीलाल ब्राहम्ण निवासी डबोक तहसील मावली जिला उदयपुर।
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली, जिला उदयपुर (राज०)

................विपक्षीगण

उपस्थित :— 1. श्री तुलसीराम डांगी, अधिवक्ता प्रार्थीगण।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू राजस्व अधिनियम

निर्णय

दिनांक : 23.02.2026

1. प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू राजस्व अधिनियम के तहत पेश कर निवेदन किया कि मौजा डबोक पटवार हल्का डबोक तहसील मावली जिला उदयपुर के आराजी नम्बर 1309, 1312, 1314, 2957, 2961, 3191, 3194, 3198, 3200, 3201, 3205, 3206 किता 12 कुल रकबा 5.4469 हैक्टेयर भूमि वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में हम प्रार्थीगण के नाम स्वतन्त्र खातेदारी अधिकार से दर्ज रिकॉर्ड है। प्रार्थीगण की उक्त भूमि के पड़ौस में विपक्षीगण की भूमि स्थिति है। प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण के मध्य रोज सरहद को लेकर विवाद होता रहता है। इसलिए हम प्रार्थीगण की कृषि भूमि का सीमांकन कर पत्थरगड़ी कराया जाना आवश्यक है ताकि भविष्य में हमारी भूमि की सीमा को लेकर विपक्षीगण से किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न नही हो। अंत में निवेदन किया कि हम प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर इस आशय का आदेश फरमाया जावें कि उक्त वर्णित हम प्रार्थीगण की खातेदारी की भूमि का माप एवं सीमांकन कराते हुए उनके मध्य सीमाओं पर पत्थरगड़ी कराने का आदेश तहसीलदार मावली को फरमाया जावें।
2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर विपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। विपक्षी संख्या 1 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से इसके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किए गए। विपक्षी संख्या 2 आवश्यक औपचारिक पक्षकार होने से जवाब पेश नही करना चाहा। अधिवक्ता प्रार्थीगण की बहस सुनी गई।
3. विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण की बहस [illegible]यत किया तथा दस्तावेजात का अवलोकन किया। पत्रावली के तथ्यों पर मनन् [illegible]। हम इस निष्कर्ष पर पहुँचें है कि मौजा डबोक पटवार हल्का [illegible] जिला उदयपुर की [illegible] जमाबंदी

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2026.03.12 13:40:20 IST
Reason: SelfAttested

संवत 2077–80 के खाता संख्या 177 पर दर्ज आराजी नम्बर 1309, 1312, 1314, 2957, 2961, 3191, 3194, 3198, 3200, 3201, 3205, 3206 किता 12 कुल रकबा 5.4469 हैक्टेयर भूमि प्रार्थीगण के नाम खातेदारी अधिकार से दर्ज है। प्रार्थीगण उक्त भूमि के खातेदार काश्तकार है। राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी अनुसार उक्त आराजीयात में विपक्षीगण का कोई हक हिस्सा निहित नही है। प्रार्थीगण द्वारा केवल मात्र प्रकरण अपनी स्वयं की खातेदारी भूमि की पत्थरगड़ी करवाने हेतु प्रस्तुत किया है। यह प्रकरण घोषणा से संबंधी नही है। केवल मात्र प्रार्थीगण के नाम दर्ज भूमि का सीमांकन कर पत्थरगड़ी की जानी है। उक्त भूमि का सीमांकन कर पत्थरगड़ी कर दी जाती है तो प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण के मध्य सीमा संबंधी विवाद नही रहेगा। सीमा संबंधी विवाद नही हो इसलिये प्रार्थीगण को अपनी खातेदारी हक की आराजियात की पत्थरगड़ी कराने का पूर्ण अधिकार है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाया जाता है ।

: : आदेश : :

4. अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जाकर पत्थरगड़ी कराने बाबत 1000/–रूपये शुल्क पर तहसीलदार मावली को कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेशित किया जाता है कि मौजा डबोक पटवार हल्का डबोक तहसील मावली जिला उदयपुर की नकल जमाबंदी संवत 2077–80 के खाता संख्या 177 पर दर्ज आराजी नम्बर 1309, 1312, 1314, 2957, 2961, 3191, 3194, 3198, 3200, 3201, 3205, 3206 किता 12 कुल रकबा 5.4469 हैक्टेयर भूमि का पुख्ता सीमांकन किया जाकर चारो दिशाओं में पत्थरगड़ी की जावे। पत्थरगड़ी करने से पूर्व प्रार्थीगण, विपक्षीगण/ पड़ौसी खातेदारो को सूचना पत्र जारी किये जावे। यथासंभव पत्थरगडी प्रार्थीगण, विपक्षीगण/ पड़ौसी खातेदारो की उपस्थिति में की जावे। साथ ही उभय पक्षो को निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में केवल मात्र सीमांकन कर पत्थरगडी की जानी है। उक्त आदेश केवल मात्र पत्थरगड़ी किये जाने का दिया गया है। उक्त निर्णय के संदर्भ में एक दूसरे को कब्जे से बेदखल करने का प्रयास नही करें। उभय पक्षो का पत्थरगड़ी करने के पश्चात कब्जे संबंधी मौके पर विवाद पाया जाता है तो इस संबंध में सक्षम न्यायालय में वाद दायर कर अनुतोष प्राप्त करने के लिए स्वतंत्र है। फीस कमिश्नर प्रार्थी मौके पर अदा करें।
5. तहसीलदार मावली को लिखा जावे । पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो ।
6. निर्णय सरे ईजलास में सुनाया गया ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2026.03.12 13:40:20 IST
Reason: SelfAttested

(रमेश सीरवी पुनाडिया) R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी मावली
जिला उदयपुर